बालक न्यायालय /
अपर जिला एवं सत्र /विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), ललितपुर।

UPLL010030362022

उपस्थित – नवनीत कुमार भारती, एच०जे०एस० I.D.No U.P. 1750
दाण्डिक अपील संख्या– 57 सन 2022
दाण्डिक प्रकरण संख्या – 37/2013

विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर X पुत्र विजय उर्फ बृजलाल, निवासी ग्राम मिदरवाहा, मजरा– लक्ष्मनपुरा, थाना महरौनी, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) ।

अपीलार्थी।

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2– प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, ललितपुर।

उत्तरदाताजन ।

अपील अन्तर्गत धारा 101 किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम 2000
थाना महरौनी, जिला ललितपुर।

अपीलार्थी की ओर से–श्री मनोहर सिंह, एडवोकेट
अभियोजन की ओर से–श्री नरेन्द्र पाल सिंह गौर, विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो एक्ट)

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील दिनांकित 14.10.2022 कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/6 विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, ललितपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 37/2013 सरकार बनाम नन्दकिशोर मुकदमा अपराध संख्या 330/2013 अन्तर्गत धारा 304, 504 भा०दं०सं० थाना महरौनी, जिला ललितपुर सरकार बनाम बालक X में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 22.09.2022 में अपीलान्ट को दोषसिद्व पाते हुये धारा–15 की उपधारा–6 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत उसके कार्य, व्यवहार एवं आचरण में सुधार लाये जाने हेतु 02 साल सुधार गृह भेजे जाने का निर्णय पारित किये जाने से क्षुब्ध होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गयी है।

2. आधार अपील

अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः यह आधार अपील में लिये गये हैं कि उपरोक्त प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट / किशोर न्याय बोर्ड ललितपुर द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया है जो हर हाल में निरस्त होने योग्य

Digitally signed by NAVNEET KUMAR BHARTI
Date: 2025.10.03 10:27:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रैट/किशोर न्याय बोर्ड ललितपुर द्वारा पी.डब्लू.–1 मुन्ना द्वारा जो घटना का वादी है जिसने स्पष्ट रूप से बचाव साक्ष्य में कहा है" यह कहना सही है कि घटना के समय मैं घर पर मौजूद था, मैंने कोई घटना नही देखी है" इस प्रकार इस साक्षी पर विचारण न्यायालय ने विश्वास न कर कानूनी त्रुटि की है जो विधि के विपरीत है और पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। पी.डब्लू.– 2 शीलचन्द, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट व दौरान विवेचना साक्ष्य में बताया जाता है कि यह घटना का चश्मदीद साक्षी है इसने स्पष्ट रूप से बताया है कि मैं घटना वाले दिन सुबह 6 बजे अपने घर से अपने खेत पर चला गया था, दोपहर 1.30 बजे खेतों से अपने घर आ गया था मैं मौके पर मौजूद नहीं था और न ही मैंने कोई घटना देखी और न ही मेरे सामने किसी ने किसी की मारपीट की और न ही गाली गलौच की।" फिर भी विचारण न्यायालय ने कथित घटना मानते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–3 रामसेवक पंचायतनामा का औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा घटना का न देखा जाना और घटनास्थल पर मौजूद न होना तथा वादी मुकदमा के परिवार का होना बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन कहानी का समर्थन न करना अभियोजन की कहानी सन्देहास्पद एवं झूठी होना प्रतीत होती है। विद्वान विचारण न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रैट /किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पी.डब्लू.–4 कल्लू के द्वारा तथ्यों के विपरीत साक्ष्य दी गयी है तथा अभियोजन न्यायालय द्वारा उसकी साक्ष्य पर विश्वास कर कानूनी त्रुटि की है। जबकि यह घटनास्थल पर मौजूद होना बताया जाता है। स्पष्ट रूप से इस साक्षी ने कहा है कि जो मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि" बृजलाल, नन्दकिशोर, चुन्नी को गाँव में भागते हुए देखा था, यह मुझे ध्यान नहीं है यह बात मैंने पंचायतनामा में लिखायी थी या नही" यह साक्षी वादी मुकदमा का भतीजा है इस प्रकार जान बूझकर बढा चढ़ाकर साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया है जो हर हाल में निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तीन व्यक्तिओं के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीकृत करायी जाना बतायी गयी है चुन्नी तनय खुमान, बृजलाल तनय चुन्नी, किशोर उर्फ नन्दकिशोर तनय बृजलाल के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी थी। जिसमें दौरान विवेचना नन्दकिशोर को किशोर अपचारी घोषित किया गया तथा बृजलाल तनय चुन्नी, चुन्नी तनय खुमान के विरूद्ध माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललितपुर के न्यायालय में सरकार बनाम चुन्नी आदि मु.अ.सं. 330/2013 विचाराधीन हुआ। जिसमें अभियोजन साक्ष्य को पूर्णतः संदेह, अविश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त चुन्नी व बृजलाल को दिनाँक 09–12–2020 के द्वारा उन पर लगाये हुए आरोपों से दोष मुक्त किया गया। इस निर्णय की प्रति किशोर अपचारी द्वारा विचारण न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड ललितपुर के समक्ष उक्त पत्रावली में दाखिल की गयी फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया गया और माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पत्रावली पर साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश की अनदेखी करते हुए अपनी मनमर्जी से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो हर हाल में

निरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायालय व माननीय किशोर न्याय बोर्ड ने अपनी अलग अलग कथन कर साक्ष्य दी है जिसमे काफी विरोधाभाष है लेकिन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही अपने मन मस्तिष्क का ध्यान दिया और विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो हर हाल में निरस्त होने योग्य है। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट / किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को दरकिनार करते हुए अपीलान्ट (अपचारी) को दण्डित करना अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि उक्त दण्डादेश पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मनमाने तरीके से पारित किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट से हो जाता है कि अपीलान्ट / अपचारी के साथ केवल अन्याय करने के उद्देश्य से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विचार न करते हुए विद्वान किशोर बोर्ड न्यायालय ने या तो जूड़ीशियल माइण्ड (न्यायिक मस्तिष्क) का प्रयोग नहीं किया है अथवा मनमाने ढंग से सजा प्रदान करते हुए अपने न्यायिक पद का दुरूपयोग कर दण्डादेश पारित किया गया है। जो हर हाल में निरस्त होने योग्य है। बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित केसों को प्रस्तुत किया गया था। जिनकी अनदेखी करते हुए एक भी केस लॉ की विद्वान किशोर न्याया बोर्ड द्वारा निर्णय में स्थान नहीं दिया गया है बल्कि उनके पारित कानूनों की/विधिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपने मन से कई अन्य प्रकार के केस लॉ निर्णय में छापे गये है। जबकि उन्हें न तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न ही बहस के दौरान केस लॉ पर तर्क वितर्क/आरगूमेंट करने का अवसर प्रदान किया गया है एवं न ही उक्त केस लॉ के कोई भी तथ्य विवादित मामले से मिलते हैं जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपचारी / अपीलान्ट को सउद्देश्य सजा/दण्डित किया गया है। इस कारण से पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। सही बात यह है कि अभियुक्त/अपचारी को गाँव की पार्टी बन्दी की रंजिश के कारण वादी मुकदमा सोची समझी षडयंत्रपूर्ण साजिश के तहत झूठी घटना बनाकर अपचारी के विरूद्ध रिपोर्ट अंकित करायी गयी और अपचारी को बिल्कुल झूठा फँसाया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा कथित घटना अपचारी द्वारा की जाना मानते हुए आदेश पारित कर कानूनी भूल की है जिससे अभियुक्त/अपचारी का भविष्य अंधकारमय हो गया है और उसे भविष्य में भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम जो कि किशोरों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था के विरूद्ध जाते हुए निर्णय पर पहुँचने की कानूनी भूल की है और अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग किया है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त एवं अन्य बचाव साक्ष्य के अनुसार अपीलान्ट/अपचारी पूरी तरह से निर्दोष है और हर हाल में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से पारित आदेश दिनॉक 22-09-2022 के विरूद्व न्यायालय में यह प्रथम अपील है इसके अतिरिक्त अपचारी /अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी अपील / निगरानी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत की गयी है और न

ही निरस्त हुई है और न ही विचाराधीन है। अपीलान्ट/अपचारी की अपील अन्दर मियाद है और न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त एवं अन्य कारणों के आधार पर भी अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 22–09–2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अभियुक्त/अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड / प्रधान मजिस्ट्रेट, जनपद ललितपुर द्वारा मु.अ.सं. 330/2013 दाण्डिक प्रकरण सं.–37 सन् 2013 सरकार बनाम नन्दकिशोर धारा–304, 504 भा.द.सं., थाना महरौनी, जिला ललितपुर में पारित आदेश /निर्णय दिनाँक 22–09–2022 ई. अपास्त किया जाकर अपीलान्ट/अपचारी को दोष मुक्त किये जाने की कृपा की जावे।

3. अभियोजन कथानक–

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थी मुन्ना तनय गिरधारी चमार ग्राम मिदरवाहा, मजरा, लक्ष्मनपुर, थाना–महरौनी, ललितपुर का निवासी है। आज 23.06.2013 समय 10 बजे की घटना है। प्रार्थी की पत्नी भौतीबाई घोरे से खराब निकालकर खेत में खाद डालने हेतु भर रही थी कि मेरे ही गॉव के चुन्नी पुत्र खुमान चमार, ब्रजलाल पुत्र चुन्नी चमार, किशोर अपचारी 'x' पुत्र विजय चमार जो मुझसे पुरानी रंजिश रखते है। मुझसे काफी रंजस रखते प्रतिवादीगण एक जुट होकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा कुल्हाड़ी अपने अपने हाथों में लेकर आये और प्रार्थी की पत्नी को लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मार पीट करने लगे। मेरी पत्नी चिल्लाई तो मैं व मेरे ही गाँव के शीलचंद्र पुत्र मौजीलाल व कल्लू पुत्र लघू व गाँव के अन्य बहुत से लोगों ने प्रतिवादीगण को ललकारा व दौडाया तो प्रतिवादीगण मौके से भाग गये। मेरी पत्नी को काफी गंभीर चोटे आयी थी तो जिससे कुछ समय बाद मौके पर मृत्यु हो गयी जिसकी उम्र 33 वर्ष है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

4. प्रथम सूचनादाता की तहरीर के आधार पर थाना महरौनी, जिला ललितपुर में किशोर अपचारी X के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 304, 504 भा०द०सं० के तहत एफ०आई०आर० दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा गवाहों के बयान लिये गये। नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचनापरान्त किशोर अपचारी X के विरूद्व अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी, जिस पर बोर्ड द्वारा प्रंसज्ञान लिया गया।

5. किशोर अपचारी X को दिनांक 13.03.2014 को विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपचारी घोषित किया गया और दिनांक 18.04.2024 को उसका जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया।

6. किशोर अपचारी X का बयान अपचारी दिनांकित 12.07.2022 अंकित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक को गलत बताया और विचारण चाहा गया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू0-1 मुन्ना, पी०डब्लू-2 शीलचंद्र, पी०डब्लू-3 रामसेवक, पी०डब्लू-4 कल्लू, पी०डब्लू-5 कान्सटेबल मनोज कुमार, पी०डब्लू-6 शैलेन्द्र सिंह, पी०डब्लू-7 गनेश प्रसाद, पी०डब्लू-8 गनेश, पी०डब्लू-9 डॉ० पवन सूद, पी०डब्लू-10 नत्थू पाल, पी०डब्लू-11 जुगेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया।

8. **अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्य**

इस न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित हुये मुन्ना वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य पृच्छा में सशपथ कथन किया है कि एक साल एक माह एक दिन पहले की बात है। दिन के दस बज रहे थे। उसकी पत्नी भौतीबाई अपने घूरे से खेत में डालने हेतु खाद्य निकाल रही थी तभी उसे उसकी चिल्लाने की आवाज आयी। जब वह दौड़कर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भौती बाई को आप लाठी से चुनाई कुल्हाडी से तथा विजय और ब्रजलाल फावडे से एक जुट होकर मार रहे थे तो इसने और शीलचंद्र ने ललकारा और दौड़ा तो ये लोग उसकी पत्नी को घायल अवस्था में छोडकर भाग गये। मुल्जिमानों की मारपीट करने से उसकी पत्नी भौतीबाई की थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गयी थी। वह लाश को वहीं मौके पर छोड़कर थाने आया था तथा बांकेलाल से बोल बोल कर तहरीर लिखाई थी। बांकेलाल ने उसे तहरीर बोलकर सुनायी थी तब इसने तहरीर पर हस्ताक्षर किए थे और उक्त तहरीर थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पेपर सं0 5 क तहरीर को इसने प्रदर्श क–1 के रुप में साबित किया है।

9. पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित हुये शीलचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना 05–06 वर्ष पुरानी है। वह मौके पर उपस्थित नही था। उसे नहीं पता कि घटना कितने बजे हुई थी। घटना के समय वह अपने खेतों में था। जब वह घर आया तो उसे गाँव के लोगो से जानकारी प्राप्त हुई। इसने अपनी आँखो से कोई घटना घटित होते हुए नही देखी।

10. पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित हुये रामसेवक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.06.2013 को हरिजन आबादी में मृतका भौतीबाई पत्नी मुन्नालाल निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर, मिदरवाहा, थाना–महरौनी, जिला–ललितपुर का पंचनामा इसके सामने भरा गया था। पंचनामा में जो बाते लिखी गयी थी वह पढ़कर सुनाया गया था और इसके सामने तैयार किया गया था। पेपर सं० 9 क वही प्रपत्र है जो इसके सामने तैयार किया गया था जिसकी वह तसदीक करता है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

11. पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित हुये साक्षी कल्लू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 23.06.2013 की घटना है। मृतका भौतीबाई पत्नी मुन्नालाल निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर, मिदरवाहा, थाना–महरौनी, जिला–ललितपुर

की हत्या हुई थी जिसका पंचनामा इसके सामने भरा गया था। जिस पर इसने हस्ताक्षर किए थे। इस गवाह ने घटनास्थल से ब्रजलाल, चुन्नी व आपको भागते देखा है। पंचनामा में जो बातें लिखी गयी थी वह पढ़कर सुनाया गया था और इसके सामने तैयार किया गया था। पेपर सं० 9 क वही प्रपत्र है जो इसके सामने तैयार किया गया था जिसकी वह तसदीक करता है जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–2 डाला है।

12. पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित हुये कांस्टेबिल मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.06.2013 को वह थाना महरौनी में कान्सटेबल मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उक्त तिथि को मुन्ना तनय गिरधारी चमार नि० गाम मिदरवाहा मजरा, लक्ष्मनपुरा, थाना–महरौनी इसके पास सायं 12.30 बजे आया था व उसके द्वारा से एक लिखित तहरीर घटना के सम्बन्ध में मुल्जिमान चुन्नी और चुन्नी के पिता ब्रजलाल व आपके खिलाफ दी थी। जिसके आधार पर इसने उक्त तीनो अभियुक्तो के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 330/13 अंतर्गत धारा–304, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत किया था। दिनांक 24.06.13 को नकल रपट कायमी 24/1700 इसके द्वारा किता किया गया है। जो इसके लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–3, क–4 व क–5 डाला गया।

13. पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित हुये शैलेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.06.13 को वह थाना महरौनी पर बहैसियत उप निरीक्षक नियुक्त था। उसी दिन मु0 अ0 सं0 330/13 धारा–304, 504 भा०दं०सं० इसकी मौजूदगी पर थाने पर कायम हुआ था। इसने इसी दिन विवेचना ग्रहण की थी। थाने पर एफ०आई०आर० लेखक मनोज कुमार, कॉ० मुहर्रिर का तथा तहरीर लेखक बांकेलाल व वादी मुकदमा श्री मुन्ना का बयान लिया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया तथा शव का पंचनामा भरके सर्वमोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। फर्द मौके पर इसने गवाहो के सामने लिखी थी। दिनांक 24.06.13 को समय करीब 14.30 बजे अभियुक्तगण चुन्नी तथा ब्रजलाल की गिरफ्तारी की थी। फर्द बरामदगी को इसने प्रदर्श क–2, आला कत्ल लाठी की फर्द बरामदगी को इसने प्रदर्श क–6, खूना लूदा मिटटी की फर्द बरामदगी को इसने प्रदर्श क–7, आपका जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रदर्श क–8, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–9 के रुप में साबित किया है।

14. पी०डब्लू. 7 गनेश प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ मुख्य रूप से यह कथन किया है कि लाठी की बरामदगी 28 जून 2013 को की गयी। लाठी आपके द्वारा अपनी छत पर फेंक दी थी जिस पर खून के निशान लगे हुए थे। जो इसके सामने पुलिस वालो ने आपसे बरामद की थी। मौके पर फर्द तैयार की गयी थी जिस पर इसके हस्ताक्षर कराये गये थे। जिस पर इसके हस्ताक्षर है। जिस पर पूर्व से ही प्रदर्श क-6 डला है।

15. पी०डब्लू० 8 के रूप में गनेश बयान गवाह फर्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है किस उसे याद नही कि लड़ाई किस तारीख को हुई थी। मृतका का पंचायतनामा इसके सामने भरा गया था। पंचायतनामा वाले कागज पर इसने अगूंठा लगाया था। पेपर सं0 14क/27 व 14क/28 वही पंचनामा है जो इसके सामने तैयार किया गया था जिस पर इसके अंगूठा निशानी है। जिस पर पूर्व से प्रदर्श क-1 डला है।

16. पी०डब्लू० 9 के रूप में डा0 पवन सूद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 24.06.13 को जिला अस्पताल ललितपुर में फिजिशयन के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को दोपहर 3.30 पर भौतीबाई उम्र 33 वर्ष के शव का परीक्षण किया था। शव को एस०आई० जितेन्द्र राय थाना महरौनी द्वारा भेजा गया था। वाह्य परीक्षण में मृतका के शरीर पर अकड़न समाप्त हो चुकी थी। आंतरिक परीक्षण फ्रन्टल एवं बांये टैम्पूरल हड्डी में फैक्चर था। मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी। चार चोटें थी। मृत्यु का समय 36 घंटे पूर्व का था। मृत्यु का कारण शौक एवं रक्तस्त्राव मृत्यु पूर्व चोटों के कारण था। पेपर सं0 13क/1 लगायत 13क/4 मूल पोस्टमार्टम की प्रति है जो इसके द्वारा तैयार की गयी थी जिस पर इसके हस्ताक्षर है जिसे प्रदर्श क-9 के रूप में साबित किया है।

17. पी०डब्लू० 10 के रूप में नत्थू पाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना लगभग पाँच वर्ष पहले की है। घटना को इसने नहीं देखा था। इसने पंचायतनामें पर हस्ताक्षर किए थे। पंचायतनामा इसे पढ़कर सुनाया गया था। इसके गाँव की भौती बाई के परिवार वालों ने कहा था कि उसकी बहू भौतीबाई की हत्या कर दी। चुन्नी व ब्रजलाल लड़के का नाम इसे मालूम नही कि किसने हत्या कर दी। मौके पर जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पर थोड़ी दूर पर लाश को रोड के बगल में लिटाया गया था।

18. पी०डब्लू० 11 के रूप में जुगेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.07.2013 को पर्चा नं0 4 इसके द्वारा किया किया गया जिसमें पूर्व विवेचक श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा किता किए गये पर्चे का अवलोकन किया गया जिसमें मृतका श्रीमती भौतीबाई से सम्बन्धित मूल पंचायतनामा एवं कार्बन कापी पोस्टमार्टम का विवरण लिखा गया तथा पंचायतनामा में नियुक्त पंचांग मुन्नालाल, रामसेवक, कल्लू, राकेश, नत्थूपाल आदि के बयान अंकित किए तथा पोस्टमार्टम का केस डायरी में विस्तृत विवरण लिखा गया। पूर्व विवेचक द्वारा बरामदगी के गवाह गनेश व चुन्नीलाल के बयान अंकित किए गये। दिनांक 11.07.2013 को पर्चा नं0 5 इसके द्वारा किता किया गया। जिसमें अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप पत्र सं0 63/2013 दिनांक 11.07.2013 को इसके लेख व हस्ताक्षर में दाखिल किया गया। जिस पर प्रदर्श क−10 डाला गया।

19. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय का विवेचन।

विद्वान विचारण न्यायालय (किशोर न्याय बोर्ड), ललितपुर द्वारा उपरोक्त् तथ्य एवं परिस्थितियों मे उभयपक्षों को सविस्तार सुने जाने के उपरान्त **प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांकित 22.09.2022** को मुख्यतः इस प्रकार से व इन आधारों पर पारित किया गया है कि किशोर अपचारी 'x' पुत्र विजय उर्फ बृजलाल निवासी–ग्राम–मिदरवाहा, मजरा, लक्ष्मनपुर, थाना–महरौनी, जिला–ललितपुर को अंतर्गत धारा–304, 504 भा०दं०सं० के अपराध में सिद्धदोषी पाया जाता है। किशोर अपचारी 'x' को अंतर्गत धारा–304, 504 भा०दं०सं० के तहत 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए धारा–15 की उपधारा–छः किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत उसके कार्य व्यवहार व आचरण में सुधार लाये जाने हेतु सुधार गृह भेजा जाता है। किशोर अपचारी 'x' द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) तथा जिला कारागार में बितायी गयी अवधि सुनायी गयी अवधि में समायोजित की जायेगी। चूँकि किशोर अपचारी 'x' में वर्तमान में 24 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका है और किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–19 (3) में यह प्रावधान है कि–ऐसे बालक को, जो विधि के विरोध में किशोर होना पाया गया हो, इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी सुरक्षित स्थान में भेजा जाए और तत्पश्चात उस व्यक्ति को किसी जेल में स्थानान्तरित किया जायेगा। किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की 20 (2) की उपधारा ।। में यह प्रावधान है कि–बालक जिसने इक्कीस वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है तथा उसे यदि सुरक्षित स्थान में रुकने की विहित अवधि को पूरा करना शेष है तो बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा। यदि किशोर अपचारी 'x' द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), ललितपुर तथा तदोपरान्त जिला कारागार, ललितपुर में बितायी गयी अवधि 02 वर्ष से कम है तो शेष अवधि के लिए उसे नियामनुसार जिला कारागार में दाखिल किया जाये। किशोर अपचारी 'x' का सुनायी गयी सुधार अवधि का विवरण पत्र (सजायवी वारण्ट) तैयार किया जाये। निर्णय की एक प्रति किशोर अपचारी '×'को निशुल्क प्रदान की जाये। किशोर न्याय (बालको की देख–रेख एवं संरक्षण अधिनियम) 2000 की धारा 19 के अन्तर्गत किशोर अपचारी 'x' की दोषसिद्धि से संलग्न निर्हरता, यदि कोई हो, से उक्त दोषसिद्धि ग्रस्त नही होगी।

20. अपील के दौरान अपीलान्ट की ओर से सूची 5 क के माध्यम से प्रश्नगत नकल निर्णय दिनांकित 22.09.2022 कागज संख्या 5 क/2 लगायत 5 क/5 दाखिल की गयी है।

21. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–1 के रुप में मुन्ना को परीक्षित कराया गया है। यह गवाह मृतका भौतीबाई का पति है। इसने अपनी गवाही में बताया है कि घटना 01 साल 01 माह 01 दिन पहले की है। दिन के दस बज रहे थे। गवाह की पत्नी भौतीबाई अपने घूरे से खेत में डालने हेतु खाद्य निकाल रही थी तभी इस गवाह ने उसके चिल्लाने की

आवाज सुनी तथा दौड़कर पहुँचा। मुख्य परीक्षा के दौरान इस गवाह ने बताया है कि जब यह मौके पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भौंतीबाई को किशोर अपचारी 'X' लाठी से चुन्नी कुल्हाड़ी से तथा विजय उर्फ बृजभान फावड़े से एक दूसरे को ठोकर मार रहे थे। गवाह का कहना है कि उसने शीलचंद्र और कल्लू के साथ उन्हे ललकारा और दौड़ाया तो ये लोग उसकी पत्नी को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गये। मुख्य परीक्षा में गवाह का कहना है कि मुल्जिमों की मारपीट करने से उसकी पत्नी भाँतीबाई की थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गयी थी जिसके उपरान्त उसने बांकेलाल से बोलकर तहरीर लिखाई तथा बांकेलाल ने तहरीर उसे पढ़कर सुनाई तदोपरान्त उसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया है। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 4क को देखकर इस गवाह ने तसदीक किया है कि यह वही तहरीर है जो उसके द्वारा दी गयी थी जिसे इस गवाह ने प्रदर्श क–1 के रुप में प्रमाणित किया है। जिरह के दौरान इस गवाह ने बताया है कि लाश के पोस्टमार्टम के समय वह मौके पर था। पंचायतनामा हुआ था तथा पंचायतनामा में उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। जिरह के दौरान इस गवाह ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया गया है कि उसके द्वारा कोई घटना नही देखी गयी है बल्कि जब घटना हो रही थी तब वह घटना के समय घर पर मौजूद था। ऐसे में यह गवाह चक्षुदर्शी साक्षी नही है। चूँकि इसके द्वारा जिरह तथा मुख्य परीक्षा में विरोधाभासी कथन किये गये है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–2 के रुप में शीलचंद्र परीक्षित हुए है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कह दिया है कि उसके द्वारा कोई घटना घटित होते हुए नही देखा गया है तथा पुलिस द्वारा उसके कोई बयान नही लिये गये। इस गवाह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा कड़ी जिरह की गयी है जिसमें उसने कहा है कि उसने गाँव में सुना था कि ऐसी घटना घटित हो गयी है पर वह मौके पर मौजूद नही था। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–3 के रुप में रामसेवक परीक्षित हुए है जिसके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 23.06.2013 को हरिजन आबादी में मृतका भाँतीबाई पत्नी मुन्नालाल निवासी ग्राम–लक्ष्मनपुर, थाना–महरौनी, जिला–ललितपुर का पंचनामा इस गवाह के सामने भरा गया था। गवाह ने यह भी बताया है कि पंचनामें में जो बाते लिखी थी वह पढकर सुनाई गयी थी तथा पंचनामा इस गवाह के सामने ही तैयार हुआ था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने पंचनामा को प्रदर्श क–2 के रुप में साबित किया है। जिरह के दौरान इस गवाह ने बताया है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद था। मात्र पंचनामा उसके सामने भरा गया है। ऐसे में इस गवाह के द्वारा पंचनामा को साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू–4 के रुप में कल्लू को परीक्षित कराया गया है जिसने बताया है कि घटना दिनांक 23.06.2013 की है। गवाह ने यह बात बतायी है कि हत्या उसके सामने नहीं हुई थी। पंचनामा उसके सामने तैयार किया गया था तथा पंचनामा पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे। हालांकि इस गवाह ने अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया है कि मौके पर उसने घटनास्थल से बृजलाल, चुन्नी व किशोर अपचारी 'X' को भागते देखा था। जिरह के दौरान इस गवाह ने यह बताया है कि उसके सामने पुलिस वालों ने एक कुल्हाड़ी, एक फावड़ा और लाठी बरामद की थी। हालांकि यह गवाह यह पृथक रुप से नही बता सका है कि चुन्नी बृजलाल और किशोर अपचारी 'X' किससे

क्या–क्या चीजे बरामद हुई थी। न ही यह गवाह यह बता सका है कि लाठी कितनी बड़ी थी व लाठी की नाप उसे याद नही। गवाह ने यह भी बताया है कि जिस समय बरामदगी हुई थी उस समय गनेश, खिलान, नत्थू मौजूद थे। इस गवाह ने यह भी बताया है कि उसने फर्द पर हस्ताक्षर किये थे। हालांकि जब इस गवाह का परीक्षण हुआ है उस समय उपरोक्त लाठी, कुल्हाड़ी और फावड़ा बोर्ड के समक्ष नही थे किन्तु जब पी०डब्लू 6 के रुप में परीक्षित हुए शैलेन्द्र सिंह जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गयी है, के द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 24.06.2013 को समय करीब 2.30 बजे अभियुक्तगण चुन्नी तथा बृजलाल की गिरफ्तारी की गयी थी तथा उनके बयान मौके पर लिए गये थे। गिरफ्तारी के प्रपत्र तैयार किये गये थे। अभियुक्तगण के द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व फावड़ा स्वेच्छा से अपने छिपाये हुए स्थान से बरामद कराने की बात कही गयी थी। इसी पर गवाहान रामसेवक व कल्लू के समक्ष अभियुक्त चुन्नी ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपने कमरें में रखे भूसा से निकाल कर एक कुल्हाड़ी बरामद करायी और बताया कि यह वही कुल्हाड़ी है जिससे मैने घटना के समय भौंतीबाई को मारा था और भागते समय यहाँ पर छिपा कर रख गया था। अभियुक्त बृजलाल ने स्वेच्छा से उसी भुसें से निकालकर एक फावड़ा दिया जिससे मैनें भौतींबाई को मारा था। गवाह ने स्पष्ट रुप से बताया है कि कुल्हाड़ी और फावड़ें में खून लगा था। मौके पर फर्द बनायी गयी थी तथा कुल्हाडी व फावडे को अलग अलग सीलमुहर करके नमूना मोहर बनाया था। दिनांक 28.06.2013 को नन्दकिशोर को भी हिरासत में ले लिया गया था जिसने स्वेच्छा से घटना में प्रयोग की गयी लाठी छत की खपरैल से गवाहों के सामने गवाह शीलचंद्र और गनेश के सामने बरामद करायी थी और अपना जुर्म कबूल किया था और उसने बताया था कि यह वही लाठी है जिससे मैने घटना के समय भौंतीबाई को मारा था और यहाँ छिपाकर रख दी थी। लाठी में खून लगा हुआ था। मौके पर ही लाठी को सर्वमोहर किया गया था नमूना मोहर बनाया गया था एवं फर्द तैयार करके अपने गवाहों के तथा अभियुक्तों के हस्ताक्षर कराये थे। फावड़ा तथा कुल्हाड़ी की बरामदगी की फर्द को भी इस गवाह ने प्रमाणित किया है जिस पर पहले से प्रदर्श क–2 पड़ा हुआ था। मुख्य बात यह है कि आलाकत्ल लाठी जिसे किशोर अपचारी 'X' की निशानदेही पर बरामद किया गया था उसकी फर्द भी इसी गवाह के द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना बताया गया है जिसे इस गवाह ने प्रदर्श क–6 के रुप में प्रमाणित किया है। मुकदमें से सम्बन्धित खूनालूदा मिटटी व सादी मिटटी को कब्जे में लेने की फर्द भी इसी गवाह के द्वारा तैयार की गयी है जिसे इस गवाह ने प्रदर्श क–7 के रुप में तथा किशोर अपचारी 'X' का जन्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जो कि इस गवाह के द्वारा प्राप्त कर पत्रावली में दाखिल की गयी है, को इस गवाह ने प्रदर्श क–8 के रुप में साबित किया है। मुकदमा अपराध संख्या–330/13 की नक्शा नजरी घटना स्थल का निरीक्षण करके इस गवाह के द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये गये है। जो कि पत्रावली में कागज संख्या–10क के रुप में संलग्न है जिसे इस गवाह ने प्रदर्श क–9 के रुप में प्रमाणित किया है। इस गवाह के सामने घटना में प्रयुक्त किये गये कथित कुल्हाड़ी, फावड़ा तथा लाठी को प्रस्तुत किया गया है तो इस गवाह ने कुल्हाड़ी को वस्तु

प्रदर्श 1, फावड़ा को वस्तु प्रदर्श 2, लाठी को वस्तु प्रदर्श 3 के रुप में साबित किया है। खूनालूदा मिटटी को वस्तु प्रदर्श 4 व सादी मिटटी को वस्तु प्रदर्श 5 के रुप में साबित किया है। जिरह के दौरान भी इस गवाह ने इसी बात को स्वीकार किया है कि तीनो फर्द उसी के द्वारा बनायी गयी है तथा सबसे पहले अभियुक्त चुन्नी से कुल्हाड़ी का बरामद किया जाना बताया है तथा उसके बाद बृजलाल से फावड़ा बरामद किया जाना बताया है। जिरह के दौरान भी किशोर अपचारी 'X' के सम्बन्ध में बताया है कि लाठी किशोर अपचारी 'X' ने अपने छुपाये गये स्थान कमरें की खपरैल में स्वेच्छा से बरामद करायी थी वही मौके पर फर्द बनायी थी। फर्द बनाते समय शीलचंद्र व गनेश मौजूद थे। गवाह का कहना है कि उसके द्वारा स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र नही दाखिल किया था। पी0 डब्लू–11 के रुप में रिटायर्ड इंस्पेक्टर जुगेन्द्र सिंह परीक्षित हुए है जिन्होने बताया है कि इस गवाह के द्वारा दिनांक 04.07.2013 को पर्चा सं0 4 किता करते हुए पूर्व विवेचक शैलेन्द्र सिंह द्वारा किता किए गये पर्चो का अवलोकन करना बताया है तथा पंचायतनामा में नियुक्त पंचांग मुन्नालाल, रामसेवक, कल्लू, राकेश, नत्थूलाल आदि के बयान अंकित किया जाना बताया है तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र सं0 63/2013 दिनांक 11.07.2013 को प्रेषित करना बताया है जिसको इस गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए प्रदर्श क–10 के रुप में साबित किया है। पी०डब्लू–5 के रुप में परीक्षित हुए मनोज कुमार, कान्सटेबल ने बताया है कि दिनांक 23.06.2013 को वह थाना महरौनी में कान्सटेबल मुहर्रिर के पद पर तैनात था तथा उक्त तिथि को मुन्नालाल उसके पास 12.30 बजे आया था तथा एक लिखित तहरीर दी जिसके आधार पर इस गवाह के द्वारा तीन अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 330/13 अंतर्गत धारा–304, 504 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया था जिसका खुलासा रपट सं 20 दिनांक 23.06.2013 में किया था। दिनांक 24.06.2013 को रपट कायमी 24/1700 इसी गवाह के द्वारा किता किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति को गवाह के द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए क्रमशः प्रदर्श क–3, 4 व 5 के रुप में साबित किया है। पी०डब्लू–7 के रुप में गनेश प्रसाद पुत्र लक्खी को परीक्षित कराया गया है। यह गवाह वही गवाह है जो कि किशोर अपचारी 'X' के द्वारा लाठी बरामद किये जाने के समय मौजूद था तथा फर्द बरामदगी पर इस गवाह के द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। इस गवाह ने बताया है कि लाठी की बरामदगी दिनांक 28.06.2013 को की गयी। लाठी किशोर अपचारी 'X' द्वारा अपनी छत पर फेंक दी गयी थी जिस पर खून के निशान लगे हुए थे। गवाह ने बताया है कि पुलिस वालो ने किशोर अपचारी 'X' से उसी के सामने लाठी की बरामदगी की थी तथा मौके पर ही फर्द तैयार की थी जिस पर इस गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द कागज सं० 14क/19 को इस गवाह ने देखकर प्रमाणित किया है कि यह वही फर्द है जो उसके सामने दिनांक 28.06.2013 को तैयार की गयी थी जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–6 पड़ा हुआ था। जिरह के दौरान गवाह ने बताया है कि फर्द पर कुल चार लोगो ने हस्ताक्षर किए थे। लाठी की लम्बाई कुल 6 फुट होना बताया है तथा मोटाई को 2 इन्च होना बताया है। यह भी इस गवाह ने बताया है कि बरामदगी लाठी के समय उसके अलावा शीलचंद्र और दरोगा जी के साथ एक और गॉव के व्यक्ति

मौजूद थे जिनका नाम इस गवाह को याद नही है। पी०डब्लू–8 के रुप में गनेश पुत्र बल्कू परीक्षित हुए है इस गवाह के द्वारा बताया गया है कि उसे याद नही लड़ाई किस दिन हुई थी। जिरह के दौरान इस गवाह ने बताया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था न ही उसने घटना देखी। किशोर अपचारी 'X' के सम्बन्ध में इस गवाह ने कोई बयान नहीं दिया है। पी०डब्लू–10 के रुप में परीक्षित हुए नत्थू पाल ने बताया है कि घटना लगभग 5 वर्ष पहले की है। घटना उसके द्वारा नहीं देखी गयी है। उसने सिर्फ पंचनामें पर हस्ताक्षर किये थे। उसे पंचनामा पढ़कर सुनाया गया था। पी०डबलू–9 के रुप में डॉ० पवन सूद परीक्षित हुए है जिन्होने बताया है कि दिनांक 24.06.2013 को जिला चिकित्सालय ललितपुर में फिजीशियन के पद पर तैनात थे। उक्त दिनांक को दोपहर 3.30 बजे इस गवाह के द्वारा मृतका भाँतीबाई पत्नी मुन्नालाल के शव का परीक्षण किया गया था। गवाह ने बताया है कि बाह्य परीक्षण– शरीर में अकड़न समाप्त हो चुकी थी। आंतरिक परीक्षण– फ्रन्टल एवं बांये टैम्पूरल हड्डी में फैक्चर था। मस्तिष्क की झिल्ली फटी थी। फ्रन्टल लोप में 80 एम०एल रक्त एवं लैस्टटैम्पों रक्त लोप में 120 एम०एल० रक्त था। टैम्पोरल एवं फ्रन्टल लोप में मस्तिष्क फटा हुआ था। चोट संख्या–1 फटा हुआ घाव बांया पिन्ना दो जगह से फटा हुआ था। उपरी एवं निचले हिस्से से। चोट संख्या–2 फटा हुआ घाव बांय पिन्ना के पीछे एवं बीच में 21 सेमी हडडी की गहराई तक। चोट संख्या–3 फटा हुआ घाव पिन्ना के 2 सेमी पीछे बायें टेम्पोरल एरिया पर 3 1 सेमी हडड़ी की गहराई तक। चोट संख्या–4 नाक की जड़ से 8 सेमी उपर फन्टल बोन पर 3 1/2 मिमी० हडड़ी की गहराई तक। हृदय का बांया हिस्सा खाली था एवं दाहिने में रक्त था। बच्चा दानी खाली थी। शेष सभी फाइडिंग सामान्य थी। मृत्यु का समय 36 घंटे पूर्व का था। मृत्यु का कारण शौक एवं रक्त स्त्राव मृत्यु पूर्व चोटों के कारण था। पत्रावली पर मौजूद पेपर सं0 13 क/1 लगायत 13 क/4 को देखकर इस गवाह ने बताया है कि यह वही पोस्टमार्टम की मूल प्रति है जो इस गवाह के हस्तलेख में तैयार की गयी है जिस पर इस गवाह के हस्ताक्षर है जिसको इस गवाह ने प्रदर्श क–9 के रुप में साबित किया है। प्रदर्श क–9 के रुप में प्रमाणित किया है। मृत्यु का कारण इस गवाह के द्वारा शॉक एवं रक्तस्त्राव एवं मृत्यु पूर्व चोटों का होना बताया है तथा मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 36 घंटे पूर्व का बताया है। पी०डब्लू–1 ने उसकी पत्नी मृतका भौंतीबाई के साथ घटना घटित होना दिनांक 23.06.2013 को सुबह 10 बजे का होना बताया है। शव परीक्षण दिनांक 24.06.2013 को समय 3.30 बजे दिन में किया गया है। ऐसे में लगभग 36 घंटे पूर्व मृत्यु कारित होने का अर्थ यही है कि मृतका के साथ जो घटना घटित हुई वह दिनांक 23.06.2013 को सुबह 10 बजे के लगभग ही घटित हुई होगी। जिरह के दौरान इस गवाह ने बताया है कि मृतका को आयी हुई चोटें किसी सख्त हथियार से आना संभव है और भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि मृतका के शरीर पर छः चोटे पायी गयी गयी थी। उक्त चोटें लाठी डंडो से आना संभव है। चोट सं० 3 किसी धारदार हथियार से आना संभव नही है। यह चोटें किसी कठोर एवं मोथरे (मोटा) हथियार द्वारा आनी संभव है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चिकित्सीय गवाह के द्वारा बताया गया है कि मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व आयी चोटों से रक्त स्त्राव एवं शॉक था। मृत्यु से पूर्व आयी चोटों

का किसी सख्त एवं कठोर हथियार से पहुँचाया जाना चिकित्सीय गवाह के द्वारा बताया है बल्कि और स्पष्ट रुप से बताया है कि चोटें लाठी डंडो से आना संभव है। यहाँ पर प्रासंगिक यह है कि घटना में इस्तेमाल किये गये हथियारों में कुल्हाड़ी, फावड़ा व लाठी सामने आयी है जिसमें से आलाकत्ल लाठी को किशोर अपचारी 'X' के द्वारा बरामद कराया गया है तथा स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बताया गया है कि यह वही लाठी है जो कि उसने घटना कारित करते समय इस्तेमाल की थी। पी०डब्लू–4 के रुप में परीक्षित हुए कल्लू ने अपने बयानों में बताया था कि उसने मौके पर घटनास्थल से बृजलाल, चुन्नी तथा किशोर अपचारी 'X' को भागते हुए देखा था ऐसे में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धान्त के अनुसार किशोर अपचारी 'X' को मौके पर अंतिम बार देखा गया था जिसके सम्बन्ध में नन्दकिशोर को यह स्पष्टीकरण देना है कि घटना वाले दिन वह मौके पर क्या कर रहा था। चूँकि यह तथ्य मात्र किशोर अपचारी 'X' के ही विशेष ज्ञान में हो सकती है तथा धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यह भार किशोर अपचारी 'X' पर है कि वह अपना स्पष्टीकरण उपरोक्त के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें किन्तु किशोर अपचारी 'X' के द्वारा अंतर्गत धारा–313 द०प्र०सं० के बयानों के समय अथवा अन्य समय पर भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण बोर्ड के समक्ष नही दिया गया है। चूँकि तथाकथित घटना के समय घटनास्थल पर किशोर अपचारी 'X' की मौजूदगी साबित हो चुकी है ऐसे में धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयज विधियों 1. रोहतास कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2013 (82) ए०सी०सी० 401 (एस०सी०) 2. प्रतिपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 1 एस०सी०सी० 10 में अंतिम बार देखे जाने के प्रतिपादित सिद्धान्त का वर्णन किया गया। ऐसे में अपचारी किशोर अपचारी 'X' को उक्त प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय विधि के अनुसार यह बोर्ड के समक्ष स्पष्ट करना था कि वह घटनास्थल पर घटना के समय उसकी मौजूदगी क्यों व किस कारण थी किन्तु अपचारी किशोर अपचारी 'X' के द्वारा इस प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण इस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। तो प्रस्तुत मामलें में गवाहों की गवाही से यह सिद्ध हो चुका है कि किशोर अपचारी 'X' के द्वारा मृतक भौंतीबाई की लाठी से मारपीट की गयी जिससे उसको काफी चोटें आयी तथा उन चोटों से मृतका की मृत्यु हो गयी।

<u>22. उभयपक्ष की बहस</u>

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त से लाठी हथियार की बरामदगी नहीं हुयी है जिससे हत्या की गयी हो और न ही मृतक से सम्बन्धित कोई भी सामान बरामद हुआ था। इस प्रकरण में 11 गवाह परीक्षित हुये हैं अभियोजन के द्वारा अपराध के पूरा लिंक नहीं जोड़ा गया है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपराध के मोटिव को साबित करना आवश्यक है मिथ्या साक्ष्यों के आधार पर सजा नहीं की जा सकती है। कथन किया गया है कि जो भी साक्ष्य है, प्रस्तुत प्रकरण में उपस्थित वह कानून की मंशा के खिलाफ है। ऐसी स्थिति

में अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

23. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली भाँति अवलोकन करते हुये सही निष्कर्ष दिया है। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

24. उभयपक्ष को सविस्तार सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

25. उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय उभयपक्ष को सविस्तार सुने जाने के उपरान्त गुण दोष के आधार पर पारित किया गया है। प्रस्तुत अपीलार्थी/ किशोर अपचारी X के विरूद्व विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मुकदमा अपराध संख्या 330/2013 अर्न्तगत धारा 304, 504 भा०द०सं० के मामले मे दोषसिद्व किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने अपने निर्णय में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है तथा सहमति जतायी है कि अभियोजन कथानक व अभियोजन साक्षियों के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 330/2013 में घटना में इस्तेमाल किये गये हथियारों में कुल्हाड़ी, फावड़ा व लाठी सामने आयी है जिसमें से आलाकत्ल लाठी को किशोर अपचारी 'X' के द्वारा बरामद कराया गया है तथा स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बताया गया है कि यह वही लाठी है जो कि उसने घटना कारित करते समय इस्तेमाल की थी। पी०डब्लू–4 के रुप में परीक्षित हुए कल्लू ने अपने बयानों में बताया था कि उसने मौके पर घटनास्थल से बृजलाल, चुन्नी तथा किशोर अपचारी 'X' को भागते हुए देखा था। वह घटनास्थल पर घटना के समय उसकी मौजूदगी क्यों व किस कारण थी किन्तु अपचारी किशोर अपचारी 'X' के द्वारा इस प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। तो प्रस्तुत मामलें में गवाहों की गवाही से यह सिद्ध हो चुका है कि किशोर अपचारी 'X' के द्वारा मृतक भौंतीबाई की लाठी से मारपीट की गयी जिससे उसको काफी चोटें आयी तथा उन चोटों से मृतका की मृत्यु हो गयी। विद्वान विचारण न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि एवं तथ्य के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये गुण दोष के आधार पर साक्ष्य के उपरान्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये एक विस्तृत विधिक निर्णय पारित किया गया है, जिसको देखे जाने पर प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। इन तथ्य व परिस्थितियों में इस न्यायालय के मतानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में विधि व तथ्य की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। उक्त प्रकरण मे सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया। सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन कर विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली भाँति अवलोकन करते हुये सही निष्कर्ष दिया है।

26. इस स्तर पर विद्वान विचारण न्यायालय(किशोर न्याय बोर्ड) ललितपुर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 22.09.2022 पर दोषसिद्ध किये जाने के प्रश्न पर न्यायोचित निर्णय पारित किया गया है, जहाँ तक अपीलार्थी/अभियुक्त के दोषसिद्ध किये जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट/अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निर्णय पारित विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यथावत रखा जाता है।

27. इस स्तर पर अपीलान्ट/अभियुक्त द्वारा पृथक से दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु याचना की गयी, जो स्वीकृत हुयी।

28. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु मध्यावकाश के उपरान्त पेश हो।

दिनांक 26.09.2025

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट), ललितपुर।

मध्यावकाश उपरान्त –

पत्रावली मध्यावकाश उपरान्त दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुयी। अपीलान्ट/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह, एडवोकेट, एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) ललितपुर न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

अपीलान्ट/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण अत्यन्त प्राचीन वर्ष 2013 का है। उस समय प्रार्थी/अभियुक्त किशोर बालक था। प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 22.09.2022 को कुल 09 वर्ष के विचारण के उपरान्त पारित किया गया है। अपीलान्ट/अभियुक्त परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। खेती करता है। अपीलान्ट/अभियुक्त को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये उसके कार्य, व्यवहार व आचरण में सुधार लाये जाने हेतु सुधार गृह (राजकीय विशेष गृह किशोर)में भेजा गया था, जिसमें से वह आधी सजा भुगत चुका है। कथन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा सुधार गृह में बितायी जाने वाली अवधि का आधा समय पूरा कर लिया गया है। वह इस समय 25 साल का है। अपीलान्ट सामाजिक कार्य भी करता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तथ्यों व परिस्थितियों पर बल देते हुये अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये सुधारगृह में बितायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाकर शेष अवधि से मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) द्वारा यह कथन किया गया है कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

सविस्तार सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित घटना वर्ष 2013 की है। वर्ष 2013 से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय दिनांक 22.09.2022 में पारित किया गया। अतः प्रकरण के विचारण में कुल 09 वर्ष का लम्बा समय लगा। प्रकरण अत्यन्त प्राचीन वर्ष 2013 का है। उस समय प्रार्थी/अभियुक्त किशोर बालक था। कथन किया गया है कि अपीलान्ट/अभियुक्त परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। खेती करता है। अपीलान्ट/अभियुक्त को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये उसके कार्य, व्यवहार व आचरण में सुधार लाये जाने हेतु सुधार गृह (राजकीय विशेष गृह किशोर) में भेजा गया था, जिसमें से वह लगभग आधी अवधि सुधार गृह/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत कर चुका है। वह इस समय 25 वर्ष का है तथा अपीलान्ट सामाजिक कार्य भी करता है। पश्नगत घटना के उपरान्त प्रार्थी के द्वारा किसी अन्य अप्रिय घटना के कारित किये जाने का कोई विवरण नहीं है। इन तथ्य व परिस्थितियों में इस न्यायालय के मतानुसार अभियुक्त/अपीलान्ट को दण्डादेश में निम्न रूप से संशोधित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 57/20223 विधि का उल्लंघन करने वाला बालक X पुत्र विजय उर्फ बृजलाल, निवासी ग्राम मिदरवाहा, मजरा– लक्ष्मनपुरा, थाना महरौनी, जिला ललितपुर (उत्तर प्रदेश) का निर्णय इस आशय तक स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्/अपीलान्ट को सुधार गृह में बितायी गयी अवधि की सजा से दण्डित किया जाता है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड वापिस भेजी जाये।

दिनांक 26.09.2025

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट), ललितपुर।

यह निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 26.09.2025

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो एक्ट), ललितपुर।